यालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम (अलवर)

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल पी. ओ.

पीठासीन (तहा. अधि.)

3/5 पत्रावली क्र. अलग बन्द कर। प्रकरण लोक अदालत/कैम्प कोर्ट में निस्तारण योग्य होने से पत्रावली लोक अदालत/कैम्प कोर्ट में दिनांक 29/6/16 को पेश हो।

29/6/16 पक्षकारान उपस्थित/अनुपस्थित/वकील उपस्थित/अनुपस्थित। पक्षकारान में समझौता की गई। परन्तु [illegible] नहीं हुआ। अतः पत्रावली सम्बन्धित [illegible] में लौटाई जावे। दिनांक 3-10-16 को न्यायालय में पेश हो।

3-10-16 पूर्व पत्र। 18-10-16 को पेश हो

18/10/16 वास्ते [illegible] पत्रावली अग्रिम पत्रावली दिनांक 7-12-16 को पेश हो।

7/12/16 बकुलाए फरीकैन/वादी/उपस्थित पाया। अधिकारी बाहर पधारे हैं आयन्दा पत्रावली दिनांक 25-1-17 को पेश होवे।

25/1/17 बकुलाए फरीकैन हाजर। श्रीमान P.O. साहब दौरा राज कार्य में व्यस्त हैं। आयन्दा पत्रावली दिनांक 15-3-17 को उनके समक्ष पेश हो। रीडर

11-2-17 आज पत्रावली प्रार्थी के अधिवक्ता के माध्यम से पेश हुई प्रार्थी का मुख्य वाद सेटलमेन्ट में निर्णय हो चुका है अतः अपील को आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं है। पत्रावली खारिज की जाती है। पत्रावली [illegible] लोक अदालत में लिए जाकर दस्तखत की जावे। निर्णय खुले लोक अदालत में लिखाकर सुनाया गया।

[illegible]

[illegible]